# न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।

**जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1286 / 2026**

**C.N.R.No-UPGD010037522026**

1- समी खॉ आयु करीब 65 वर्ष पुत्र करामत

2. शेरूखान आयु करीब 27 वर्ष पुत्र काबूखान

3. अजमल आयु करीब 29 वर्ष पुत्र समी खॉ

4. मुजीम उर्फ जंगली आयु करीब 26 वर्ष पुत्र ननके

निवासीगण ग्राम बसालतपुरवा दा0 अहियाजोत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**–––––––प्रार्थी / अभियुक्त**

**प्रति**

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––––––––––––––––––––––––**अभियोजन**

अपराध संख्या–77 / 2025
धारा–191(2),115(2),117(2),352,
351(3),110 बी0एन0एस0,
थाना–कौडिया बाजार जिला–गोण्डा।

**दिनांक–29.06.2026**

प्रार्थी / अभियुक्त **समी खॉ, शेरूखान, अजमल व मुजीम उर्फ जंगली** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–77 / 2025, धारा–191(2), 115(2), 117(2), 352,351(3),110 बी0एन0एस0, थाना–कौडिया, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक–11.05.2025 को समय करीब 5.00 बजे शाम को विपक्षी अफजल पुत्र समी व समी पुत्र अज्ञात, शेरूखान पुत्र काबू, अजमल पुत्र समी व जंगली पुत्र अज्ञात,अजमल पुत्र समी व सरवर पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम अहियाचेत वसालतपुरवा के पैसे के लेन देन को लेकर मेरे दरवाजे पर आकर मेरे पिता इस्तियाक को मॉ बहन की गन्दी–2 गाली देने लगे जब मेरे पिता ने गाली देने से मना किये तब विपक्षीगण मेरे पिता को मूका थप्पर व लाठी डन्डा से मारने लगे, जिससे मेरे पिता का बॉया हाथ टूट गया। जब मेरी मॉ रहीशा व सरतार बीच बचाव कराने लगे तब विपक्षीगण एक राय होकर इन लोगो को भी मारे पीटे व जाते समय जान माल की धमकी दिये।

उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अफजल, समी , शेरू खान, अजमल , जंगली व सरवर, अ0सं0–77 / 2025, धारा–191(2), 115(2), 117(2), 352, 351(3), बी0एन0एस0 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी। दौरान विवेचना बी0एन0एस0 की धारा–110 की बढोत्तरी की गयी।

प्रार्थीगण / vfHkयुक्तगण की तरफ से जमानत प्रार्थना–पत्र में जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि प्रार्थीगण पूर्णतः निर्दोष है। मात्र चुनावी रंजिश के कारण उक्त अपराध में आरोपित किया गया है। प्रार्थी उक्त अपराध में घटित घटना के बारे में कोई जानकारी नही रखता है और न ही उक्त घटना में रहा है। वादी मुकदमा चॉदे उर्फ दाऊद के विरूद्ध अभियुक्तगणो के पुत्र अफजल खॉ द्वारा दिनांक–11.05.2025 को थाना स्थानीय कौडिया बाजार में मु0अ0सं0–76 / 2025 समय करीब

19.36 बजे धारा—352, 351(3), 115(2) बी0एन0एस0 का अपराध पंजीकृत करवाया था। जिसमें बेजा दबाव बनाने के बाबत उक्त अपराध को प्रार्थीगणो के विरूद्ध पंजीकृत करवाकर आरोपित करवा दिया। प्रार्थीगणो के पुत्र द्वारा वादी मुकदमा से गाड़ी लिया गया था। जिसका पैसा वादी मुकदमा द्वारा ले लिया गया था। लेकिन गाड़ी का स्थानान्तरण नही किया जा रहा था। जिसके बाबत प्रार्थी ने अपने पैसे की मॉग वादी मुकदमा से किया था। जिस पैसे को गबन करने के लिए फजी विवाद दिखाकर वादी मुकदमा द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। मुकदमा उपरोक्त में चोटहिल को आयी चोटे जो आकस्मिक दुर्घटना से आयी है। जिनका प्रार्थीगणो से कोई वास्ता सरोकार नही है। उक्त आयी चोटो का बेजा लाभ उठाते हुये वादी द्व ारा मनगढन्त तथ्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत करवा दिया गया है।

प्रार्थीगणों द्वारा नही मारा पीटा गया है और न ही गाली गुप्ता दिया गया है, न ही जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रार्थीगणो के पास सामाजिक व्यक्ति जमानत हेतु तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना—पत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित अभिलेख केस डायरी का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा भी वादी पक्ष के विरूद्ध अ0सं0—76/ 2026 दर्ज कराया गया है। रहिसा के मस्तिष्क के सीटी0 स्कैन रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण असामान्यता नही पायी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर रहा है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नही किया गया है। वह स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर आत्मसर्मपण किया है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी थाने द्व ारा प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बीआई0व अन्य , स्पेशल लीव अपील सं0—5191/ 2021** व माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0राज्य, 2025 ए0एच0सी0 136034** में प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रकाश में मामले के तथ्य एंव परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किए हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण **समी खॉ, शेरूखान, अजमल व मुजीम उर्फ जंगली** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—77/2025, **धारा—**191(2), 115(2), 117(2), 352,351(3),110 बी0एन0एस0, थाना—कौडिया, जिला—गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या**—1524/2026 स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में अवर न्यायालय के समक्ष दाखिल मु0 50,000/—(पचास

हजार) रूपये की एक जमानत एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए—

1— अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2— अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा आहूत किए जाने पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3— अभियुक्त द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान इस प्रकार के मामलों में संलिप्त नहीं होगा।

4— अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवदेक बयान के समय, 313 दं0प्र0सं0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

5— ऐसा करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

**(सूर्य प्रकाश सिंह)**
J.O.Code-UP6272
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—1,
गोण्डा।

दिनांक 29.06.2026

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.07.01 21:01:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court